



# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-50/कार्मिक/सा.प्र./जननि/2021/ 002

दिनांक:- 27.09.2021

## कार्यालय आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के सफल संचालन हेतु कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ17(10)डीओपी/(क-2)/94 दिनांक 08.02.2018 एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक प.8(ग)( )नियम/विधि/स्वा.शा.वि/2021/60365-578 जयपुर दिनांक 29.06.2021 व उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, के पत्रांक 7026 दिनांक 27.08.2021 के अध्यक्षीन निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार समेकित पारिश्रमिक पर 06 माह तक अथवा अभियान अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक, समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्त पद	रिक्त पद जिसके विरुद्ध लगाया जाना है	समेकित पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6
1	श्री चिरंजीलाल शर्मा	12.05.1961	तहसीलदार	तहसीलदार	17400/-
2	श्री रणवीर सिंह शेखावत	18.07.1957	पटवारी	पटवारी	17400/-
3	श्री राजीव श्रीवास्तव	25.09.1960	भू-अभिलेख निरीक्षक	पटवारी	17400/-
4	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	01.07.1960	भू-अभिलेख निरीक्षक	पटवारी	17400/-
5	श्री अशोक कुमार शर्मा	25.04.1959	भू अभिलेख निरीक्षक	पटवारी	17400/-
6	श्री विद्याप्रकाश चतुर्वेदी	10.07.1958	भू अभिलेख निरीक्षक	पटवारी	17400/-
7	श्री रामदयाल रैगर	22.12.1959	सदर मुन्सरिम	पटवारी	17400/-
8	श्री राम प्रकाश शर्मा	12.06.1960	पटवारी	पटवारी	17400/-

पुर्ननियुक्ति की शर्त:-

01. राजकीय हित में उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा अवधि में आपसी सहमति से कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अन्तर्गत वृद्धि की जा सकेगी।
02. सेवाएँ असन्तोषजनक पाये जाने पर पुर्ननियुक्ति सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

03. पुर्ननियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुर्नभरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
04. पुर्ननियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुर्नभरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
05. पुर्ननियुक्ति सेवायें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में अंकित शर्तों के अध्याधीन होगी।
06. समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित माह का नियंत्रण अधिकारी/जोन उपायुक्त द्वारा उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं सेवा सन्तोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जावेगा।

— sd —

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)

आई.ए.एस.

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक प.8(ग)( )नियम/विधि/स्वा.शा.वि/2021/60365-578 जयपुर दिनांक 29.06.2021 के क्रम में प्रेषित है।
2. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. सहायक लेखाधिकारी प्रथम (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. कार्यालय अधीक्षक (कार्मिक)
11. संस्थापन लिपिक
12. ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
13. सम्बन्धित श्री.....
14. गार्ड फाईल



आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर